

न्यायालय तहसीलदार कठुमर (अलवर) राज.  
 11RA/11RA/09/22

27/1/22

निर्णय द्वारा 11RA/11RA/09/22

निर्णय दिनांक - 25/2/2022

प्रस्तुत हुए प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम काकरोली  
 216/0-43 219 किरम जमीन वादों में से 0.43, 0.57, 0-18, 0.57, 1.25  
 217/0-57 233 वादों पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर  
 218/0-18 234 0.11, 1.60, 0.54  
 235/0-60 934  
 55/0-54

इस पर परिवारा हस्ता द्वारा दिनांक 21/1/22  
 जिसके विरुद्ध वामूनी वगैरहों किसे जाने की रिपोर्ट मय लाई  
 के द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण वर्ज रजिस्टर्ड किया  
 रमेश जालानिद मुकेश पिठ कन्या निवासी काकरोली को भू-  
 मालिकता 388 की धारा 31 के तहत नजिरा जारी किसे मये नोटिस की तामील  
 नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए पर मामला पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उपस्थित

उपस्थित आया। जवाब में रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली है।  
 उपरत रकयता आ.ख.म. 216 217 218 219 233 234 0.11, 235 55  
 0.43 0.57 0.18 0.57 1.25 934 में से 1.60 0.54

को लिखा जाकर बाद तामील टाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में  
 सुनाया गया।  
 2315/ का  
 एड्वोकेट जीतापन्दी शरणा नू.अ.निरी. टिफ्टरी

दि. नै सं 4 है (58) 122 सम 2 तहसीलदार कठुमर (अलवर)  
 2022-23. तहसीलदार कठुमर, अलवर (राज.)  
 की काय की को गई 2315+4800

7/6/22  
 तहसीलदार कठुमर (अलवर)